खण्ड-9 संख्या-23

नवम् बिहार विधान-सभा

विधान-सभा वादवृत्त

भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, तिथि 28 जुलाई, 1988 ई०

(1) क्या यह बात सही है कि इस वर्ष की अप्रत्याशित बाढ़ से सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति की भारी क्षति हुई है;

(2) क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस वर्ष बाढ़ के दौरान कितने लोग मरे एवं कितने घर पूर्ण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनके विरुद्ध क्रितने रुपये का अनुदान दिया गया है?

प्रभारी मंत्री, साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग - (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) विगत बाढ़ से राज्य के विभिन्न जिलों में मरने वालों की संख्या 1,283 है। कुल 17.05 लाख घर बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनमें 6,69 लाख घर पूर्ण रूप से तथा 10.36 लाख घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

मृतकों के संतप्त परिवारों को 30 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में दिये गये हैं। बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती के लिए 959.49 लाख रुपये दिनांक 31 दिसम्बर 1987 तक दिये गये हैं।

अनुदान का भुगतान

पुन-12. श्री माधव लाल सिंह - क्या मंत्री, साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(1) क्या यह बात सही है कि अगस्त-सितम्बर में हुई उत्तर बिहार के भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रति कच्चे घर पर 750 रुपया एवं पक्के घर के लिए 1,000 (एक हजार) रुपया तक अनुदान देने का प्रावधान सरकार ने सितम्बर, 1987 में किया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रावधान को सरकार ने दिसम्बर, 1987 ने बदलकर 200 रु० प्रति क्षतिग्रस्त घर के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया फिर भी अभी तक उक्त अनुदान का भुगतान नहीं हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो 350 रुपया से 200 रुपया अनुदान घटाने तथा अनुदान का भुगतान अभी तक नहीं करने का क्या औचित्य है?

प्रभारी मंत्री, साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग - (1) उत्तर स्वीकारात्मक है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रति कच्चे घर पर 200 रु० से 750 रु० तक एवं पक्के घर के लिये 1,00 (एक हजार रुपये तक अनुदान देने का निर्णय सरकार ने अगस्त, 1987 में लिया था।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है। गृह अनुदान की राशि वितरण करने का कार्य बहुत पहले आरम्भ कर दिया गया है।

(3) गृह निर्माण अनुदान मद में राशि की कमी के कारण दिनांक 14 दिसम्बर, 1987 को मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि तत्काल प्रत्येक भूमिहीन परिवार को जिनके पास होमस्टेट भूमि है और जिनका घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया हो, को प्राथमिकता के आधार पर तदर्थ रूप से गृह निर्माण अनुदान 200 रुपये की दर से स्वीकृत किया जाय। तदनुसार सम्प्रति प्रत्येक प्रभावित जिले को इस मद में आवश्यक राशि उपलब्ध करा दी गई है तथा अनुदान वितरण कार्य चल रहा है। बाद में और राशि उपलब्ध होने पर खर्च हुए अन्य हकदार व्यक्तियों को भी गृह निर्माण अनुदान नियमानुसार दिया जायेगा।